

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]  
No. 99]

दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 2016/ ज्येष्ठ 10, 1938  
DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2016/JYAISTHA 10, 1938

[ रा.रा.क्षे.दि. सं. 48]  
[N.C.T.D. No. 48]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 23 मई, 2016

सं.फा. डी.ई.4(13)(282)/स्था.-IV/2004/आरआर/गृह विज्ञान/1075.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक

13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एचआईएम (I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा घरेलू विज्ञान अध्यापक के पद से संबंधित इस सरकार की दिनांक 20 दिसम्बर 1983 की अधिसूचना संख्या फा. 2(20)/83-एस-II के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात् शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में गृह विज्ञान (डोमेस्टिक साइंस) अध्यापक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को गृह विज्ञान (डोमेस्टिक साइंस) अध्यापक भर्ती नियमावली, 2016 कहा जाएगा।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान:- उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं आदि :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति  
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या  
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति :-जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
6. बचाव:- इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अनुसूची

1.	पदनाम	: गृह विज्ञान (डोमेस्टिक साइंस) अध्यापक
2.	पदों की संख्या	: 818 * (2016) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	: सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन समूह एवं ग्रेड पे/वेतनमान	: पे बैंड -- 2, 9300-34800/- रुपये+ग्रेड पे -- 4600/-रुपये
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	: चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	: 30 वर्ष से अधिक नहीं नोट-1:- केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय नोट-2 :-आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	: अनिवार्य:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से घरेलू विज्ञान / गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि (ii) अध्यापन विषय के रूप में घरेलू विज्ञान/गृह विज्ञान सहित शिक्षा में स्नातक वांछनीय:- सैकेण्डरी स्तर पर हिन्दी का एक विषय के रूप में अध्ययन किया हो। टीप-1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकार के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: आयु -- नहीं शैक्षिक योग्यता -- हां
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: 96 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 4 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा

11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है	ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित 4200/-रुपये ग्रेड पे सहित 9300-34800/-रुपये, पे बैंड-2 के वेतनमान में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) (दिल्ली नगर निगम तथा शिक्षा निदेशालय से। टीप - 1:- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। टीप-2 : पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति / स्थाईकरण समिति 1. प्रधान सचिव (शिक्षा), - अध्यक्ष 2. निदेशक (शिक्षा), - सदस्य 3. अपर निदेशक (शिक्षा)/ अपर सचिव (शिक्षा)/ संयुक्त सचिव (शिक्षा) - सदस्य
13.	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर, डॉ. बबीता, सहायक निदेशक, शिक्षा (स्था.-IV)

**DIRECTORATE OF EDUCATION  
NOTIFICATION**

Delhi, the 23rd May, 2016

**F. DE/4(13)/282/E-IV/2004/RRs/Dom. Sc. Tr./ 1075.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. F.27/59-Him (i) dated the 13<sup>th</sup> July, 1959, and in supersession of this Government's Notification No. F. 2(20)/83-S.II dated the 20<sup>th</sup> December, 1983 relating to the post of Domestic Science Teacher except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after consultation with the Union Public Service Commission, hereby frames the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Domestic Science Teacher** in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely: -

- 1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the **Domestic Science Teacher Recruitment Rules, 2016.**  
(2) They shall come in force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification, Pay Band and Grade Pay/Scale of pay.** - The number of the said posts, their classification and their Pay Band and Grade Pay/Scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of Recruitment, age limit and qualifications etc.** - The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

**4. Disqualifications. – No person,-**

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or  
 (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public-Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

1.	NAME OF THE POST	: DOMESTIC SCIENCE TEACHER.
2.	NUMBER OF POST	: 818* (2016) *SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD.
3.	CLASSIFICATION	: GENERAL CENTRAL SERVICE GROUP 'B' (NON-GAZETTED NON-MINISTERIAL.
4.	PAY BAND AND GRADE PAY/PAY SCALE	: PB-2, RS. 9300-34800 PLUS GRADE PAY RS. 4600/-.
5.	WHETHER SELECTION OR NON – SELECTION POST	: SELECTION.
6.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS	: NOT EXCEEDING 30 YEARS. (RELAXABLE FOR GOVERNMENT SERVANTS UPTO FIVE YEARS IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS OR ORDERS ISSUED BY THE CENTRAL GOVERNMENT) <b>NOTE:</b> THE CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE LIMIT SHALL BE THE CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FROM CANDIDATES IN INDIA (AND NOT THE CLOSING DATE PRESCRIBED FOR THOSE IN ASSAM, MEGHALAYA, ARUNACHAL PRADESH, MIZORAM, MANIPUR, NAGALAND, TRIPURA, SIKKIM, LADAKH DIVISION OF J&K STATE, LAHUL & SPITI DISTRICT AND PANGI SUB DIVISION OF CHAMBA DISTRICT OF HIMACHAL PRADESH, ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS OR LAKDHADWEEP).
7.	EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATIONS REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS	: <b>ESSENTIAL:</b> (I) BACHLOR'S DEGREE IN DOMESTIC SCIENCE/HOME SCIENCE FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY /INSTITUTE, AND (II) BACHLOR'S IN EDUCATION WITH DOMESTIC SCIENCE/HOME SCIENCE AS A TECHING SUBJECT.  <b>DESIRABLE :</b> MUST HAVE PASSED HINDI AS A SUBJECT AT SECONDARY LEVEL.  <b>NOTE-1 :</b> QUALIFICATIONS ARE RELAXABLE AT THE DISCRETION OF THE COMPETENT AUTHORITY.

		FOR REASONS TO BE RECORDED IN WRITING, IN THE CASE OF CANDIDATES OTHERWISE WELL QUALIFIED.
8.	WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATIONS PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEEES	AGE-NO. EDUCATIONAL QUALIFICATIONS-YES.
9.	PERIOD OF PROBATION, IF ANY	TWO YEARS.
10.	METHOD OF RECRUITMENT : WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ABSORPTION AND PERCENTAGE OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS	96% BY DIRECT RECRUITMENT AND 4% BY PROMOTION.
11.	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/ DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION/ DEPUTATION/ABSORPTION TO BE MADE	<b>PROMOTION:</b>  ASSISTANT TEACHER (PRIMARY) (FROM MCD AND DIRECTORATE OF EDUCATION) WITH FIVE YEARS' REGULAR SERVICE IN THE GRADE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON REGULAR BASIS IN PB-2, Rs.9300-34800/- WITH GRADE PAY OF Rs. 4200/-  <b>NOTE-1:</b> WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE, OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONGWITH THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE.  <b>NOTE-2:</b> FOR THE PURPOSE OF COMPUTING MINIMUM QUALIFYING SERVICE FOR PROMOTION, THE SERVICE RENDERED ON A REGULAR BASIS BY AN OFFICER PRIOR TO 1 <sup>ST</sup> JANUARY OF 2006, THE DATE FROM WHICH THE REVISED PAY STRUCTURE BASED ON THE 6 <sup>TH</sup> CPC RECOMMENDATIONS HAS BEEN EXTENDED, SHALL BE DEEMED TO BE SERVICE RENDERED IN THE CORRESPONDING GRADE PAY/ PAY SCALE EXTENDED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF THE PAY COMMISSION.
12.	IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION	GROUP 'B' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE /CONFIRMATION COMMITTEE CONSISTING OF :- 1. PRINCIPAL SECRETARY (EDUCATION) -CHAIRMAN 2. DIRECTOR OF EDUCATION -MEMBER

571C

		3.ADDL. DIRECTOR OF EDUCATION / ADDITIONAL SECRETARY/JOINT SECRETARY (EDUCATION) -MEMBER.
13.	CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.	CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NOT NECESSARY.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. BABITA, Assistant Director (E-IV)